राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पांची देवी बनाम कालूराम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
07/05/26	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरारहक, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जि पर प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस आशय का पेश किया कि ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 उयपुर शष्ट्यर भूमि सोन्या उर्फ सोहनलाल पुत्र महादेव मीणा की खातेदारी की भूमि थी जिसने दिनांक 04.08.1994 को एक मुख्त्यारनामा आम श्री शम्भूदयाल पुत्र प्रभातीलाल खटीक के पथक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दिया जिसके आधार पर उक्त मुख्त्यारआम शम्भूदयाल ने खसरा नंबर 212 का आधा हिस्सा 12 बिस्वा 32 वर्गगज दिनांक 07.10.2004 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादिया को विक्रय कर कब्जा संभला दिया। वादिया ने पटवारी हल्का को राजस्थ भू-अभिलेखों में अमल दरामद करने हेतु विकय पत्र सौंप दिया परन्तु उसने अमल नहीं किया और जब वादिया ने पटवारी से बात की तो उसने बताया कि सोन्या की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 12.08.2011 को कालूराम के नाम हो गया है और आपका नामान्तरकरण 32 वर्गगज अंकित होने की वजह से नहीं हो सकता इसलिये वादिया को दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। वादिया भूमि विवादग्रस्त में अपने 1/2 हिस्से की भूमि की हकदार घोषित कराने की अधिकारी है, इसलिये वादिया को भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर, तकासमा किया जावे और स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादिया ने वादपत्र में सोन्या उर्फ सोहनलाल पुत्र महादेव मीणा द्वारा दिनांक 04.08.1994 को जो मुख्त्यारनामा आम श्री शम्भू दयाल पुत्र प्रभातीलाल खटीक के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवा दिया जाना कित किया है वह मुख्त्यारनामा मात्र 12 बिस्वा 32 वर्गगज भूमि के लिये तहरीर किया गया और वादिया ने भी उक्त मुख्त्यारआम शम्भूदयाल द्वारा खसरा नंबर 212 में से 12 बिस्वा 32 वर्गगज भूमि ही दिनांक 07.10.2004 के पंजीकृत विकय पत्र द्वारा वादिया को विक्रय करना अंकित किया है इस प्रकार भूमि खसरा नंबर 212 के 1/2 हिस्से का वादिया के पक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पांची देवी बनाम कालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	684/2019	

में कोई विकय पत्र होना स्वंय वादिया ने ही अंकित नहीं किया है इस प्रकार वाद पत्र में कोई वाद कारण उल्लेखित ही नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी भी प्रावधान के तहत वादिया को भूगि विवादग्रस्त के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार कृषक घोषित नहीं किया जा सकता इस प्रकार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियक के किसी प्रावधान में नहीं आता ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा प्रस्तुत नगर पन्त्र विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत एक सहकृषक ही संयुक्त कृषि जोत का तकासमा करवा सकता है। वादिया द्वारा प्रस्तुत याद में भूमि विवादग्रस्त ना तो संयुक्त कृषि जोत है और ना ही वादिया सहकृषक है। वादिया ने वादपत्र में स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुदोष चाहा है। धारा 188 के तहत कोई कृषक ही स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है। वादिया भूमि विवादग्रस्त की खातेदार काबिज काश्तकार हीं है। वादिया ने वादपत्र में जो अनुतोष चाह हैं वे अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त किये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। वादिया ने वाद पत्र में कोई कारण उल्लेखित नही किया है। वादिया ने वाद पत्र में अपने आपको भूमि विवादग्रस्त खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से का (1) खातेदार घोषित किये जाने. (2) तकासमा किये जाने और (3) स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तृतीय परिशिष्ट के आईटम नंबर 5, 3 व 23 सी प्रत्येक अनुतोष हेतु 1-1 रूपये अर्थात कुल तीन रूपये का न्याय शुल्क संलग्न करना आवश्यक होने के बावजूद भी वादिया ने मात्र दो रूपये का ही न्याय शुल्क अदा किया है इस प्रकार दावा आदेश 7 नियम 11 (सी) के अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने वास्तविक तथ्यों की पूर्ण जानकारी होने के गश्चात् भी वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये यह गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये वाद पत्र प्रतिवादी को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत् विधि द्वारा वर्जित होने तथा वाद पत्र वाद कारण उल्लेखित ना होने की वजह से विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावें।

तत्पश्चात अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर उसमे अंकित किया कि वादिया ने दिनांक 07.10.2014 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा ग्राम दांतली खसरा नंबर 212 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा कय की जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पांची देवी बनाम कालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	684/2019	

खातेदारी के समस्त अधिकार वादिया के हक में निहित हो गये है जिससे वादिया को उक्त भूमि का विधिवत तकासमा करवाये जाने की अधिकारी है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विधिवत व प्रावधानो के तहत प्रस्तुत किया है प्रतिवादी ने उक्त प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है प्रतिवादी को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो कि अनावश्य व तुच्छ व तंग करने की नियत से पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित द्वारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/12/2019 पारित करते हुये प्रतिवादी संक्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरारहक़ व तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत विचाराधीन वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | विधि के प्रावधानों के अनुसार ईस्तकरारहक़ के अनुतोष हेतु तनकीवार साक्ष्य-सबूतों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये निर्णय किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विवेचित करते हुये गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पांची देवी बनाम कालूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	84/2019	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/12/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूतों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर